प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात
दिनांक- 25.10.2026

- **थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण/ बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 490 किलोग्राम अवैध पटाखों सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अवैध पटाखे के भण्डारण /बिक्री हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत, दिनांक 24.10.2026 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध पटाखों के भंडारण/ बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 33 गत्तो में रखे 460 कि0ग्रा0 व बिक्री हेतु खुले में रखे 30 कि0ग्रा0 कुल 490 कि0ग्रा0 अवैध पटाखों के साथ अभियुक्त अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं0 10 रामनगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को जवाहर नगर स्थित दुकान के बाहर कस्बा व थाना शिवली से पुलिस हिरासत में लिया गया । बरामद पटाखों को नियमानुसार थाना परिसर में एकांत/सुरक्षित स्थान पर उचित निगरानी में रखवाया गया है। बरामद पटाखों का एंटी सैबोटाज टीम द्वारा परीक्षण किया गया है। अवैध पटाखों की बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 359/2026, धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 बनाम अजय कुमार पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं0 10 रामनगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. अजय कुमार उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं0 10 रामनगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ।

बरामदगी-

1. 33 गत्तों में 460 कि0ग्रा0 व 30 कि0ग्रा0 बिक्री हेतु रखे कुल 490 कि0ग्रा0 अवैध पटाखें।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 359/2026, धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
उ0नि0 श्री अच्छेलाल
का0 180 रवि कुमार
रि0का0 पुष्पेन्द्र
म0का0 1406 विद्योतमा
म0का0 1373 शिवानी